उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण)

अति – अल्पकालीन निविदा सूचना

खूँटी जिलान्तर्गत अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों (**1.** अ.ज.जा. आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, कुन्दी **2.** अ.ज.जा. आवासीय उच्च विद्यालय, हूँठ, अड़की, **3.** बिरसा आवासीय विद्यालय, उलिहातु **4.** अ.ज.जा. आवासीय मध्य विद्यालय, डोम्बारी एवं **5.** अ.ज.जा. आवासीय मध्य विद्यालय, तपकरा) में उपस्कर–बर्त्तन आपूर्ति करने हेतु अधिकृत आपूतिकर्त्ता/दुकानदारों से दिनांक 10.03.2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता विहित प्रपत्र में अपना निविदा जिला कल्याण कार्यालय, खूँटी में जमा कर सकते हैं। दिनांक/10.03.2021 के अपराह्न 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें नमूना के साथ वे उपस्थित होंगे। निविदा का तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग होगा, जिसके लिफाफे के उपर लिखा हुआ होना आवश्यक है। तकनीकी बीड सही पाए जाने पर ही संबंधित निविदादाता का वित्तीय बीड का लिफाफा खोला जाएगा। निविदा हेतु सामग्रियों की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	साईज/विवरणी	दर प्रति कि.ग्रा./ प्रति नग
1	स्टील थाली	मध्यम	
2	स्टील गिलास	200 ml.	
3	लोहा बाल्टी बडा	12 Inch	
4	लोहा बाल्टी छोटा	16 Inch	
5	बक्सा	3'x2'x1½'	
6	डायनिंग टेबल	4'x3' Cello / Supreme	
7	प्लास्टीक कुर्सी	Cello / Supreme	
8	टेबल	4'x3' Cello / Supreme	
9	बड़ा बक्सा	3'x3'x1½'	
10	जग ढक्कन सहित	1.5 Liter	
11	तावा, बड़ा साईज	08 Kg.	
12	अल्युमिनियम डेग – बड़ा	15 Kg.	
13	अल्युमिनियम डेग – छोटा	05 Kg.	
14	लोहा कड़ाही – बड़ा	08 Kg.	
15	लोहा कड़ाही – छोटा	04 Kg.	
16	लोहा कलछुल	02 Kg.	
17	स्टील कलछुल	बड़ा साईज	
18	लोहा छोलनी	बड़ा	
19	इडली सांचा – बड़ा	50 पीस वाला	
20	कूकर 20 लीटर	आई.एस.आई मार्क	
21	स्टील गमला बड़ा	04 के.जी.	
22	प्लास्टीक कुड़ादान	Cello / Supreme / Neelkamal	
23	VIP कुर्सी	Cello / Supreme / Neelkamal	
24	कक्षा टेबल	Cello / Supreme / Neelkamal	
25	बैंठी	बड़ा	
26	बेलन एवं चकला	लकड़ी वाला	
27	कटोरी स्टील	200 ml.	
28	झांझरा लोहा	03 Kg.	

नोट :– निविदा की शर्तें खूँटी जिला के अधिकारिक वेबसाइट **www.khunti.nic.in** *एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।*

तकनीकी बीड की शर्तें :–

1. निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 30,000.00 (तीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट, **जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी** के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को अद्यतन GST चुकता प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पैन नंबर, GSTIN नंबर, विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से मूल प्रति जमा करना होगा।

वित्तीय बीड की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को सूची में अंकित सामगियों का दर सभी कर सहित अंकित कर मुहरबंद लिफाफा में बंद कर जमा करना होगा। सामग्रियों का दर बाजार दर के समरूप ही अनुमान्य होगा।
2. निविदा समर्पित कर देने के बाद किसी भी सामग्री का कोई भी दर अलग से प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगा।
3. निविदादाता के द्वारा सामग्री का एक ही दर अंकित करना होगा। एक से अधिक दर अंकित रहने पर विचार नहीं किया जाएगा।

अन्य शर्तें :–

1. सभी सामग्रियों की आपूर्ति निदेशित आवासीय विद्यालयों/कार्यालय तथा छात्रावासों में पहूँचाकर करना होगा, जिसके लिए अलग से किसी प्रकार का हथालन एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
2. सामग्रियों का नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले नमूने ही मान्य होंगे। नमूना प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. सफल निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित समय सीमा के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति नमूने के अनुरूप करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
4. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने, संशोधित करने तथा निविदा को अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा, जिस पर किसी प्रकार की कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. विद्यालय में आपूर्ति किए गये सामग्रियों का उसी दिन पूर्ण ब्यौरा सामग्री का नाम एवं मात्र सहित जिला कल्याण पदाधिकारी के E-Mail ID – dwokhunti@gmail.com पर अनिवार्य रूप से दे देना होगा, ताकि आवश्यकतानुसार सामग्री का सत्यापन जिला स्तर पर भी किया जा सके।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
–सह–अपर परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, खूँटी।

परियोजना निदेशक,
आई०टी०डी०ए०, खूँटी